न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : **श्री रमेश सीरवी पुनाडियां R.A.S**

राजस्व वाद संख्या : **136/22 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS NO. :- 2022/243

अनवान

1. श्री बंशीलाल पुत्र नोकचन्द कुम्हार निवासी रूण्डेडा, तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज0।

.....प्रार्थी

बनाम्

1. श्री गंगाराम पुत्र घासी गाडरी निवासी शौपुरा (छपरा), तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
2. श्री कैलाश पुत्र नारायण गाडरी निवासी शौपुरा (छपरा), तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
3. श्री परसराम पुत्र नारायण गाडरी निवासी शौपुरा (छपरा), तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
4. श्री बाबूलाल पुत्र नारायण गाडरी निवासी शौपुरा (छपरा), तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
5. श्री मिठूलाल पुत्र पेमा गाडरी निवासी शौपुरा (छपरा), तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
6. श्री रामलाल पुत्र पेमा गाडरी निवासी शौपुरा (छपरा), तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
7. श्री पुरणमल पुत्र उदयलाल गाडरी निवासी शौपुरा (छपरा), तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
8. श्री बावरूलाल पुत्र शम्भू गाडरी निवासी शौपुरा (छपरा), तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
9. श्री मांगीलाल पुत्र शम्भू गाडरी निवासी शौपुरा (छपरा), तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
10. श्री किशनलाल पुत्र दयाराम गाडरी निवासी शौपुरा (छपरा), तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
11. श्री शंकरलाल पुत्र दयाराम गाडरी निवासी शौपुरा (छपरा), तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
12. श्री गणेश पुत्र प्रताप गाडरी निवासी शौपुरा (छपरा), तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
13. श्री डालु पुत्र प्रताप गाडरी निवासी शौपुरा (छपरा), तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
14. भूमिधारी जरिए तहसीलदार साहब, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

.....विपक्षीगण

अधिवक्ता उपस्थित 1. श्री लक्ष्मण गिरी गोस्वामि, अधिवक्ता प्रार्थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Runadia
Date: 2022.10.17 12:59:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक 29.09.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा खरडोदा पटवार हल्का बरोडिया तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2078 से स्थाई की खाता संख्या नया 205 आराजी नम्बर 929 रकबा 0.5200 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी एकमात्र खातेदार काश्तकार है। यह की विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडौसी है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में फसलो की सुरक्षा, तारबंदी कर भूमि का विकास चाहता है जिससे पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।
2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 12 के सम्मन बाद तामील प्राप्त। जवाब पेश नहीं किया। अतः विपक्षी संख्या 1 से 12 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 14 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा।
3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पड़ोसी है। प्रार्थनाग्रस्त आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज है जिससे प्रार्थी अपनी आराजी में पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से पक्षकारों में आये दिन सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। अतः सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:59:56 IST
Reason: SelfAttested

—: : आदेश : :—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खरडोदा पटवार हल्का बरोडिया तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2078 से स्थाई की खाता संख्या नया 205 आराजी नम्बर 929 रकबा 0.5200 हैक्टेयर भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमांकन

कराया जावें। उक्त पत्थरगढ़ी कब्जा प्राप्त करने के लिए नहीं है कब्जे प्राप्त करने के लिए अलग से कार्यवाही करें। अगर भू–प्रबंधन के बाद जमाबंदी/खसरा नम्बर या मौके की तरमीम में कोई परिवर्तन हो तो तहसीलदार खाता शुद्धि के बाद पत्थरगढी की कार्यवाही करें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शामिल होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थी अदा करेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:59:56 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।